बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 206219 पटना, दिनांक:- 21/10/14

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(लक्ष्य निर्धारण)-102-06/2014

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त,
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ।

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए इंदिरा आवास के भौतिक लक्ष्य की शत् प्रतिशत उपलब्धि हेतु कालबद्ध कार्यक्रम के तहत लाभुकों के बैंक खाता में प्रथम किश्त की सहायता राशि के अंतरण के संबंध में ।**

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-204582 दिनांक-10.10.14

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए इंदिरा आवास के भौतिक लक्ष्य की शत् प्रतिशत उपलब्धि हेतु लक्ष्य के अनुरूप सभी लाभुकों को सहायता राशि उपलब्ध कराने संबंधी कार्रवाई की समीक्षोपरान्त लाभुकों के बैंक खाता में दिनांक 25.10.2014 को RTGS/NEFT के माध्यम से सहायता राशि का हस्तांतरण किये जाने के कार्यक्रम को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है । अब **दिनांक 15.11.2014 (शनिवार)** को प्रखण्ड कार्यालय के द्वारा लाभुक के बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से प्रथम किश्त की सहायता राशि के रूप में सामान्य जिलों में ₹ 35,000 एवं IAP जिलों में ₹ 37,500 अंतरित करने का निर्णय लिया गया है ।

लाभुक के बैंक खाता में प्रथम किस्त की सहायता राशि के अंतरण के पूर्व वैसे लाभुक जिनके बैंक खाता में दिनांक 15.11.2014 को सहायता राशि का अंतरण किया जाना है, से Stop Payment संबंधी घोषणा पत्र प्राप्त कर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पत्र के साथ लाभुकों के बैंक खाता से संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक को दिनांक 10.11.14 तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा, ताकि लाभुक राशि अंतरण के पश्चात चरणबद्ध तरीके से राशि की निकासी कर मकान निर्माण का कार्य पूर्ण कर सकें । यदि इसके अभाव में किसी लाभुक द्वारा प्रथम चरण के लिए निर्धारित ₹ 20,000 की राशि से अधिक राशि की निकासी की जाती है तो इसके लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे । Stop Payment संबंधी पूर्व में विभागीय पत्रांक-201122 दिनांक-12.09.14 द्वारा प्रेषित प्रपत्र को संशोधित कर संलग्न किया जा रहा है ।

इस बीच प्रखण्ड विकास पदाधिकारी लाभुकों का खुलवाये गये बैंक खाता का पासबुक (यदि प्रखण्ड/बैंक स्तर पर उपलब्ध हो), ग्रामीण आवास सहायक के माध्यम से सभी लाभुकों को हस्तगत करा देंगे तथा लाभुकों को यह भी जानकारी देंगे कि वे दिनांक 15.11.2014 के बाद अपनी सुविधानुसार प्रथम चरण के लिए निर्धारित ₹ 20,000 की राशि बैंक से निकासी कर अपने मकान का निर्माण कार्य प्रारंभ कर सकते हैं ।

अत: अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत् प्रतिशत लाभुकों को प्रथम किश्त की सहायता राशि उनके बैंक खाता में अंतरित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(एस0 एम0 राजू)
सरकार के सचिव
21/10/14

E:\D Drive\Mukesh\IAY 1103(5).doc

ज्ञापांकः- 206219 पटना, दिनांकः- 21/10/14

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः- आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव

21/10/14

E:\D Drive\Mukesh\IAY 1103(5).doc

प्रेषक,

प्रखंड विकास पदाधिकारी,

.... ।

सेवा में,

शाखा प्रबंधक,

.................................,

.... ।

विषय :- **इंदिरा आवास के लाभुक श्री / श्रीमती .... के खाता में हस्तांतरित की गयी इंदिरा आवास योजना की राशि की निकासी करने के संबंध में ।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि श्री / श्रीमती .... इंदिरा आवास लाभुक को पहली किश्त के रूप में .... रूपये उनके बैंक खाता सं0- .... में हस्तांतरित किया गया है । हस्तांतरित की गयी इस राशि को निम्नांकित दिशा-निदेश के अनुसार लाभुकों को भुगतान करना सुनिश्चित करें एवं इस पत्र को स्टॉप पेमेंट पत्र माना जाए :-

1. **पहली किश्त ₹ 35,000 / ₹ 37,500 में से प्रथम चरण में ₹ 20,000 (बीस हजार रूपये) बिना ग्रामीण आवास सहायक के अनुशंसा पत्र के ही लाभुक द्वारा स्वत: निकासी की जा सकती है ।
2. दूसरे चरण में ₹ 15,000 / ₹ 17,500 ग्रामीण आवास सहायक के अनुशंसा पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही लाभुक के द्वारा खाता से निकासी की जाएगी ।

उपरोक्त निदेश इसलिए दिया जा रहा है, क्योंकि इंदिरा आवास के बड़ी संख्या में लाभुकों द्वारा पूर्व में प्रथम किश्त के रूप में सहायता राशि की निकासी कर अन्य मद में इस राशि को खर्च कर दिया गया, जिसके कारण इंदिरा आवास को आज तक पूर्ण नहीं कराया जा सका । अत: इस दिशा-निदेश का सख्ती से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए ।

इस स्टॉप पेमेंट को देने, ग्रामीण आवास सहायक द्वारा अनुशंसा करने के बाद ही अन्य किश्त का भुगतान करने हेतु तथा तब तक स्टॉप पेमेंट करने हेतु इंदिरा आवास लाभुक द्वारा स्वयं ही प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है जो इस पत्र के साथ में संलग्न है ।

विश्वासभाजन,

प्रखंड विकास पदाधिकारी,

.... ।

नोट :- **प्रथम किश्त के रूप में सामान्य जिलों के लिए ₹ 35,000 एवं IAP जिलों के लिए ₹ 37,500 अनुमान्य है ।

प्रेषक,

....

(लाभुक का नाम एवं पूर्ण पता)

....

.... ।

सेवा में,

प्रखंड विकास पदाधिकारी,

.... ।

(प्रखंड का नाम)

विषय :- **इंदिरा आवास योजना के .... (खाता नं0) बैंक खाता का संचालन करने हेतु Stop Payment करने के घोषणा के संबंध में ।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेरा बैंक खाता .... बैंक, शाखा .... में खुला है जिसका खाता संख्या- .... है । इस खाता में ₹ 35,000 / ₹ 37,500 प्रथम किश्त इंदिरा आवास निर्माण के लिए मिलेगा । जब-जब ग्रामीण आवास सहायक द्वारा हमारे आवास निर्माण की प्रगति देखकर निरीक्षण रिपोर्ट के साथ दूसरा किश्त देने हेतु अनुशंसा की जाएगी उसके अनुसार प्रथम किश्त के ₹ 35,000 / ₹ 37,500 की निकासी मेरे द्वारा बैंक से दो चरण में की जायेगी । उसमें प्रथम निकासी ₹ 20,000 इंदिरा आवास सहायक के अनुशंसा के बिना कर सकेंगे और प्रथम किश्त का शेष ₹ 15,000 / ₹ 17,500 अगले चरण में इंदिरा आवास सहायक के अनुशंसा के आधार पर हीं बैंक से निकासी करेंगे । इसलिए बैंक को मेरे द्वारा हमारे खाता में Stop Payment करने के लिए आपको प्राधिकृत करता हूँ ।

विश्वासभाजन,

(लाभुक का हस्ताक्षर/अँगूठा का निशान)

नोट :- **प्रथम किश्त के रूप में सामान्य जिलों के लिए ₹ 35,000 एवं IAP जिलों के लिए ₹ 37,500 अनुमान्य है ।